



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpcdfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-12/2016-~~606~~

दिनांक : 09.05.2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार/ साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज/ पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़/ जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा/ दुमका वन प्रमण्डल, दुमका/ लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा/ राँची वन प्रमण्डल, राँची/ खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी/ सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा/ गुमला वन प्रमण्डल, गुमला/ सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला/ जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर/ लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन से पंचायत भवन, बाँस गैबियन से स्कूल, कॉलेज एवं अन्य सरकारी संस्थानों, लम्बे पौधों से चाहरदिवारीयुक्त संस्थानों तथा लौह गैबियन से शहरी क्षेत्र में वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल **रु0 113.505 लाख (एक करोड़ तेरह लाख पचास हजार पाँच सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-18/2016- 19/स्वी0 व0प0 दिनांक 28.06.2016 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4/यो0ब0-18/2016- 12/आ0 व0प0 दिनांक 04.04.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-59-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 113.505 लाख (एक करोड़ तेरह लाख पचास हजार पाँच सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796590103	109.566
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796590323	3.939
कुल :-		113.505

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन के **अनुलग्नक-1 (क) से (घ)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2 (क) से (ग)** एवं ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।
3. इस योजना का कोड संख्या— पी0 19S240601796590103 तथा पी0 19S240601796590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. वन प्रमण्डलों द्वारा “स्थल विशेष प्राक्कलन” श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी।
6. नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।
7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
10. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

B

11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
13. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।
14. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-12/2016-609 दिनांक- 09.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ राँची/ जमशेदपुर/ पलामू/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, पलामू/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, दुमका/ कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा/ कोषागार पदाधिकारी, लातेहार/ कोषागार पदाधिकारी, साहेबगंज/ कोषागार पदाधिकारी, पाकुड़/ कोषागार पदाधिकारी, जामताड़ा/ कोषागार पदाधिकारी, लोहरदगा/ कोषागार पदाधिकारी, खूँटी/ कोषागार पदाधिकारी, गुमला/ कोषागार पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ/ कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर/ कोषागार पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत पंचायत भवन की पूर्णता/ कार्यशिलता के प्रत्येक पंचायत में 10 बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में)

क्र० सं०	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	पंचायत भवन की पूर्णता/ कार्यशिलता की स्थिति	भौतिक लक्ष्य बाँस गैबियन (संख्या में)	वित्तीय लक्ष्य		
					मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
					264.39	9.50	273.89
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
1	दुमका	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	152	1520	4.019	0.144	4.163
2	खूँटी	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	53	530	1.401	0.050	1.451
3	राँची	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	137	1370	3.622	0.131	3.753
4	सिमडेगा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	93	930	2.459	0.088	2.547
5	साहेबगंज	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	161	1610	4.257	0.153	4.410
6	पाकुड़	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	124	1240	3.278	0.118	3.396
7	जामताड़ा	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	117	1170	3.093	0.111	3.204
8	लोहरदगा	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	63	630	1.666	0.060	1.726
9	सरायकेला-खरसावाँ	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	119	1190	3.146	0.113	3.259
योग :-			1019	10190	26.941	0.968	27.909

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत प्रत्येक स्कूल, कॉलेज एवं अन्य सरकारी संस्थानों में बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र० सं०	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य बाँस गैबियन (संख्या में)	वित्तीय लक्ष्य		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
				264.39	9.50	273.89
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	लातेहार	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	500	1.322	0.047	1.369
2	दुमका	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	750	1.983	0.071	2.054
3	राँची	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	2000	5.287	0.190	5.477
4	सिमडेगा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	500	1.322	0.047	1.369
5	लातेहार	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	500	1.322	0.048	1.370
6	साहेबगंज	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	1000	2.644	0.095	2.739
7	पाकुड़	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	500	1.322	0.048	1.370
8	जामताड़ा	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	750	1.983	0.071	2.054
9	दुमका	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	750	1.983	0.071	2.054
10	लोहरदगा	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	1000	2.644	0.095	2.739
11	राँची	राँची वन प्रमण्डल, राँची	2000	5.287	0.190	5.477
12	खूँटी	खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	500	1.322	0.048	1.370
13	सिमडेगा	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	500	1.322	0.048	1.370
14	गुमला	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	1000	2.644	0.095	2.739
15	जमशेदपुर	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	1000	2.644	0.095	2.739
16	सरायकेला-खरसावाँ	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	1000	2.644	0.095	2.739
योग :-			14250	37.677	1.356	39.033

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत सी0आर0पी0एफ0/ राज्य पुलिस/ मिलीट्री कैम्पस/ अन्य वैसे जगहों पर जहाँ चहारदिवारी एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो, लम्बे पौधों से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र० सं०	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य लम्बे पौधे (संख्या में)	वित्तीय लक्ष्य		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
				264.39	9.50	273.89
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	दुमका	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	750	1.983	0.071	2.054
2	राँची	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	2000	5.288	0.190	5.478
3	सिमडेगा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	500	1.322	0.047	1.369
4	लातेहार	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	500	1.322	0.047	1.369
5	साहेबगंज	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	500	1.322	0.047	1.369
6	पाकुड़	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	250	0.661	0.024	0.685
7	जामताड़ा	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	500	1.322	0.047	1.369
8	दुमका	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	750	1.983	0.071	2.054
9	लोहरदगा	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	1000	2.644	0.095	2.739
10	राँची	राँची वन प्रमण्डल, राँची	2000	5.288	0.190	5.478
11	खूँटी	खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	500	1.322	0.048	1.370
12	सिमडेगा	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	500	1.322	0.048	1.370
13	गुमला	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	500	1.322	0.048	1.370
14	जमशेदपुर	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	750	1.983	0.071	2.054
15	सरायकेला-खरसावाँ	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	1000	2.644	0.095	2.739
योग :-			12000	31.728	1.139	32.867

अपर प्रधान मुख्य वन सहायक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” (पुरानी- पथतट रोपण-सह-शहरी वानिकी) योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत लौह गैबियन से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य लौह गैबियन (संख्या में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			264.39	9.50	273.89
i	ii	iii	vi	v	vi
1	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	500	1.322	0.048	1.370
2	राँची वन प्रमण्डल, राँची	3000	7.932	0.285	8.217
3	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	1000	2.644	0.095	2.739
4	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	500	1.322	0.048	1.370
योग :-		5000	13.220	0.476	13.696

अपर प्रधान मुख्य वन सहायक, विकास,
झारखण्ड, राँची

कार्य दर तालिका (प्रति गैबियन)

पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस –गैबियन में वृक्षारोपन

1. बाँस-गैबियन का आकार: 6'-6"x2'-6"x2. स्पेसिंग – पंक्ति से पंक्ति की दूरी – 3 मी०
– पौधे से पौधे की दूरी – 8 मी०

क्र० सं०	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस (प्रति हे०)	मजदूरी, (रु०)	सामग्री प्रति हे०	कुल व्यय (रु०)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2017-18 में संपोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 229.90						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव		0.15	34.49	4.50	38.99	
2	पटवन (रिक्शा/ढेला द्वारा)		0.50	114.95	5.00	119.95	
3	बाँस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा		0.50	114.95	0.00	114.95	
	योग		1.15	264.39	9.50	273.89	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बिना घेरान के लम्बे पौधों का वृक्षारोपण (वर्षाकालीन वृक्षारोपण)

पंक्ति से पंक्ति की दूरी - 3 मी०

2. स्पेसिंग-

पौधे से पौधे की दूरी - 5 मी०

3. मजदूरी दर- ₹0 221.61

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (₹0 में)	सामग्री (₹0 में)	कुल व्यय (₹0 में)
1	2	3	4	5	6	7
(A)	वित्तीय वर्ष 2017-18 में संपोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 229.90					
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति पौधा	0.15	34.49	4.50	38.99
2	पटवन (रिक्शा / ठेला द्वारा)	प्रति पौधा	0.50	114.95	5.00	119.95
3	सुरक्षा	प्रति पौधा	0.50	114.95	0.00	114.95
	योग		1.15	264.39	9.50	273.89

नोट स्कूल, कॉलेज एवं अन्य संस्थानों में सामान्यतः एक प्रजाति को पौधों का रोपण किया जाय।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

ोजना का नाम- पथट / संस्थानों आदि की भूमि पर लोहा -गैबियन वृक्षारोपण (वर्षाकालीन वृक्षारोपण)

- लोहा गैबियन का आकार: 5'x2'x2'
- स्पेसिंग- पंक्ति से पंक्ति की दूरी - 3 मी०
पौधे से पौधे की दूरी - 5 मी०
- मजदूरी दर- ₹0 221.61

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (₹0 में)	सामग्री (₹0 में)	कुल व्यय (₹0 में)
1	2	3	4	5	6	7
(A)	वित्तीय वर्ष 2017-18 में संपोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 229.90					
1	तीन कोइनी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगाने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	34.49	4.50	38.99
2	पटवन (रिक्शा/ढेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	114.95	5.00	119.95
3	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	114.95	0.00	114.95
	योग		1.15	264.39	9.50	273.89

- नोट (1) शहरों में सड़कों के किनारे एक सड़क पर सामान्यतः एक प्रजाति को पौधों का रोपण किया जाय।
(2) लौह गैबियन पर संख्या अंकित की जाएगी।
(3) लौह गैबियन में प्रकाष्ठ प्रजाति, फलदार एवं शोभाकार पौधों का रोपण किया जाएगा।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झरखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-12/16/609

दिनांक - 09-May-2

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29539	DMKFOR003 NAND KISHOR SHARMA (S.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	798,500.00 रुपये सात लाख अठानवे हजार पाँच सौ
State Scheme : Central Scheme :				
2	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29545	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	1,559,900.00 रुपये पंद्रह लाख उनसठ हजार नौ सौ
State Scheme : Central Scheme :				
3	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29549	SDGAIF002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	510,300.00 रुपये पाँच लाख दस हजार तीन सौ
State Scheme : Central Scheme :				
				2,868,700.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये अठाइस लाख अडसठ हजार सात सौ


SHRI SATNAM SINGH
ADDL. DEPT. SECRETARY, RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29553	LTRFOR004 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. SFD LATEHAR	132,200.00 रुपये एक लाख बत्तीस हजार दो सौ
State Scheme : Central Scheme :				
5	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29555	SBJFOR001 MANISH KUMAR TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	822,300.00 रुपये आठ लाख बाइस हजार तीन सौ
State Scheme : Central Scheme :				
6	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29558	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER	526,100.00 रुपये पाँच लाख छब्बीस हजार एक सौ
State Scheme : Central Scheme :				

योग:

1,480,600.00

क्रमिक योग:

रुपये तीरयालीस लाख उनचास हजार तीन सौ

4,349,300.00


(SHRI SATNAM SINGH)
ADDL. POSTAL DIVISIONAL FOREST OFFICER

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme : Central Scheme :	29559	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	639,800.00 रुपये छः लाख उनचासी हजार आठ सौ
8	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme : Central Scheme :	29560	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	528,800.00 रुपये पाँच लाख अठाइस हजार आठ सौ
9	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme : Central Scheme :	29563	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	695,400.00 रुपये छः लाख पिनचानवे हजार चार सौ

योग:

1,864,000.00

क्रमिक योग:

रुपये बासठ लाख तेरह हजार तीन सौ

6,213,300.00


(SHRI SATNAM SINGH)
ADDI. POST OFFICE, RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme : Central Scheme :	29565	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	1,850,800.00 रुपये अठारह लाख पचास हजार आठ सौ
11	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme : Central Scheme :	29568	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	264,400.00 रुपये दो लाख चौसठ हजार चार सौ
12	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme : Central Scheme :	29570	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	264,400.00 रुपये दो लाख चौसठ हजार चार सौ


योग:

2,379,600.00

क्रमिक योग:

रुपये पिचयासी लाख बयानवे हजार नौ सौ

8,592,900.00


(SHRI SATNAM SINGH)
ADDL. P.S. DIVISIONAL FOREST OFFICER

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme : Central Scheme :	29573	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	396,600.00 रुपये तीन लाख छयानवे हजार छः सौ
14	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme : Central Scheme :	29575	SKLFOR001 A EKKA D.F.O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	975,600.00 रुपये नौ लाख पचहत्तर हजार छः सौ
15	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme : Central Scheme :	29577	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	727,100.00 रुपये सात लाख सत्ताइस हजार एक सौ

योग:	2,099,300.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड छः लाख बयानवे हजार दो सौ
	10,692,200.00


(SHRI SATNAM SINGH)
ADDL. P. O. JAMSHEDPUR, JHARHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29579	LTRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY DFO FOREST DIV LATEHAR	264,400.00 रुपये दो लाख चौसठ हजार चार सौ
State Scheme : Central Scheme :				
17	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29587	DMKFOR003 NAND KISHOR SHARMA (S.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	28,600.00 रुपये अठाइस हजार छः सौ
State Scheme : Central Scheme :				
18	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29589	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	56,100.00 रुपये छप्पन हजार एक सौ
State Scheme : Central Scheme :				


योग:

349,100.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड दस लाख इकतालीस हजार तीन सौ

11,041,300.00


(SHRI SATNAM SINGH)
ADDL. DEPUTY COMMISSIONER, RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme : Central Scheme :	29591	SDGAIF002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	18,300.00 रुपये अठारह हजार तीन सौ
20	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme : Central Scheme :	29595	LTRFOR004 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. SFD LATEHAR	4,800.00 रुपये चार हजार आठ सौ
21	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme : Central Scheme :	29597	SBJFOR001 MANISH KUMAR TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	29,500.00 रुपये उन्तीस हजार पाँच सौ

योग:

52,600.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड दस लाख तिरनावे हजार नौ सौ

11,093,900.00



(SHRI SATNAM SINGH)

ADDI. P. S. D. W. N. S. H. A. N. D.

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29599	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER	19,000.00 रुपये उन्नीस हजार
State Scheme : Central Scheme :				
23	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29601	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	22,900.00 रुपये बाइस हजार नौ सौ
State Scheme : Central Scheme :				
24	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29604	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	19,000.00 रुपये उन्नीस हजार
State Scheme : Central Scheme :				


योग:

60,900.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड ग्यारह लाख चौपन हजार आठ सौ

11,154,800.00


(SHRI SATNAM SINGH)
ADDI. P. S. D. V. N. S. H. A. N. D.

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29606	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
State Scheme : Central Scheme :				
26	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29607	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO, RANCHI FORES DIVISION RA	66,500.00 रुपये छायठ हजार पाँच सौ
State Scheme : Central Scheme :				
27	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29609	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	9,600.00 रुपये नौ हजार छः सौ
State Scheme : Central Scheme :				


योग:

101,100.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड बारह लाख पचपन हजार नौ सौ

11,255,900.00


(SHRI SATNAM SINGH)
ADDL. P.O. & DEWAN, RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29611	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	9,600.00 रुपये नौ हजार छः सौ
State Scheme : Central Scheme :				
29	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29612	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	14,300.00 रुपये चौदह हजार तीन सौ
State Scheme : Central Scheme :				
30	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29613	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	35,100.00 रुपये पैंतीस हजार एक सौ
State Scheme : Central Scheme :				


योग:

59,000.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड तेरह लाख चौदह हजार नौ सौ

11,314,900.00


(SHRI SATNAM SINGH)
ADDL. DEPT. SECRETARY, RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29614	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	26,100.00 रुपये छब्बीस हजार एक सौ

State Scheme :

Central Scheme :

32	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29615	LTRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY DFO.FOREST DIV LATEHAR	9,500.00 रुपये नौ हजार पाँच सौ
----	--	-------	---	---------------------------------------

State Scheme :

Central Scheme :


योग:

35,600.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड तेरह लाख पचास हजार पाँच सौ

11,350,500.00


(SHRI SATNAM SINGH)
ADDITIONAL DEPUTY COMMISSIONER